प्रकाशन का 46 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 46 अंक – 48 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 13 – 20 दिसम्बर 2021 मूल्य पांच रूपए

चार साल के कार्यकाल के बाद कहां खड़े हैं भाजपा और जयराम

- 2019 – 20 की कैग रिपोर्ट से सरकार पर उठे गंभीर सवाल
- एडीबी के कर्ज से बनी संपत्तियां ऑपरेशनल होने से पहले ही प्राइवेट हाथों में क्यों ?
- जयराम के अधिकांश मंत्रियों का विवादित होना क्या एक संयोग है या कुछ और...

भा ज पा

शिमला/शैल। जयराम सरकार के सत्ता में चार साल पूरे होने जा रहे हैं इस अवसर पर मंडी में एक राज्य स्तरीय आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इसमें शामिल होने की हां भी कर दी है। स्वाभविक है कि जब प्रधानमंत्री इस आयोजन में शामिल होंगे तो प्रदेश से ही ताल्लुक रखने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी इसमें शामिल होंगे ही। यह आयोजन उस समय हो रहा है जब अभी कुछ दिन पहले ही हुए चारों उपचुनाव भाजपा और जयराम सरकार हार गयी है। बल्कि इस हार के बाद प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के कयास चल पड़े थे। क्योंकि भाजपा गुजरात, उत्तराखंड और कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन बड़े छोटे – छोटे मुद्दों पर कर चुकी थी। लेकिन अभी तक प्रदेश की सरकार और संगठन किसी में भी कुछ भी बदलाव नहीं हो पाया है। कहा यह जा रहा है कि यदि मुख्यमंत्री जयराम ने हार के लिए अपनी तत्कालिक प्रतिक्रिया में महंगाई को जिम्मेदार न ठहराया होता और इस प्रतिक्रिया के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मोदी सरकार ने कमी न की होती तो शायद स्थितियां कुछ और होती। फिर इसी के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव को जोड़कर यह तर्क सामने आया है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों के बाद ही राज्यों की समस्याओं पर ध्यान दिया जायेगा। इस तरह जो दो – तीन माह का समय जयराम को मिल गया है उसमें वह अपनी कार्यशैली में कितना सुधार कर पाते हैं उस पर हाईकमान से लेकर प्रदेश के हर आदमी की नजर रहेगी।

किसी भी मुख्यमंत्री और उसकी सरकार के लिए सबसे बड़ी कसौटी यही होती है कि क्या वह सत्ता में वापसी कर पायेगी? यदि हार भी होती है तो वह शर्मनाक नहीं होनी चाहिये। इस गणित में अब तक रही कांग्रेस और भाजपा की सरकारों में कोई भी मुख्यमंत्री सत्ता में वापसी नही कर पाया है। इसलिए यदि जयराम भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाते हैं तो यह कोई अनहोनी नहीं होगी। वीरभद्र और प्रेम कुमार धूमल पर यह आरोप लगता रहा है कि उनके परिवारों का शासन प्रशासन में दखल ज्यादा बढ़ गया था इसलिए वह वापसी नहीं कर पाये। परंतु जयराम के परिवार से तो कोई भी राजनीति में नहीं है। इसके बावजूद भी यदि जयराम सत्ता में वापसी नहीं कर पाते हैं तो वीरभद्र और धूमल परिवार भी इस आरोप से मुक्त हो जाते हैं। उस सूरत में यह आरोप मुख्यमंत्री की अपने सलाहकारों की टीम और उनकी अपनी प्रशासनिक समझ पर ही आकर टिकेगा।

इस मानक पर यदि जयराम के 4 वर्षों के कार्य का आकलन किया जाए तो इसका सबसे बड़ा प्रमाणिक दस्तावेज कैग की वर्ष 2019 – 20 की इस विधानसभा सत्र में आई रिपोर्ट हो जाती है। इस रिपोर्ट में जयराम सरकार पर सबसे बड़ा आरोप लगा है कि उसने जनहित से जुड़ी 96 योजनाओं पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया और न ही खर्च न करने का कोई कारण ही बताया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोई भी योजना एक करोड़ से कम की नहीं थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इसी अवधि में सरकार का कर्ज 62000 करोड़ से पार गया है। स्मरणीय है कि 9 मार्च 2018 के अपने पहले बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने सदन में यह कहा है कि उनकी सरकार को 46000 करोड़ का कर्ज विरासत में मिला है। सीएजी की रिपोर्ट और मुख्यमंत्री के भाषण से यह सामने आता है कि इस सरकार को 8000 करोड़ का कर्ज प्रतिवर्ष लेना पड़ रहा है। यदि इतना कर्ज लेकर भी जनहित की 96 योजनाओं पर इस सरकार में कोई पैसा ही खर्च नहीं किया है तो कार्यकुशलता पर इससे बड़ा सवाल और क्या हो सकता है। कैग के इस प्रमाण पत्र के बाद शायद विपक्ष को सरकार पर हमलावर होने के लिये और किसी बारूद की जरूरत नहीं रह जाती है। इसी प्रमाण पत्र के साथ जब एडीबी के कर्ज से सिराज बड़ागांव और क्यारीघाट में बनी संपत्तियों को ऑप्रेशनल होने से पहले ही प्राइवेट सेक्टर को दे देने का सच सामने आयेगा तो फिर कांग्रेस के साठ/आठ के दावे को पूरा होने से कौन रोक पायेगा।

इस वस्तुस्थिति में राजनीतिक विश्लेषकों के सामने एक बड़ा सवाल यह भी आ रहा है कि यह सब कुछ ऐसे घट गया कि जयराम को इसका पता ही नहीं चल पाया या फिर अपनी कुर्सी पक्की करने के लिए यह सब कुछ घटने दिया गया। इस सवाल की पड़ताल करने के लिए कुछ तथ्यों पर नजर डालना आवश्यक हो जाता है। 2017 का चुनाव भाजपा ने धूमल को मुख्यमंत्री घोषित करके लड़ा था। लेकिन संयोगवश पार्टी को तो बहुमत मिल गया और धूमल अपनी पूरी टीम के साथ हार गये। इस हार के बाद भी विधायकों के एक बड़े वर्ग की ओर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग और उनके लिये सीट खाली करने की पेशकश तक हुई। उस समय पार्टी में दूसरे वरिष्ठ लोगों में महेंद्र सिंह, जेपी नड्डा और सुरेश भारद्वाज आते थे। जयराम वरिष्ठता में इन सबके बाद थे। महेंद्र सिंह आर एस एस से ताल्लुक नहीं रखते और इसी गणित से में बाहर हो गये। नड्डा का नाम भी यहां तक आ गया था कि उनके समर्थकों ने तो मिठाईयां बांट दी और रास्ते से वापस हुए। इस गणित में जयराम फिर बैठ गये और मुख्यमंत्री बन गये। लेकिन इन दावेदारों का डर हर समय सिर पर मंडराता रहा। इस डर से बाहर आने के लिए सबसे पहले धूमल को शिमला से बाहर किया गया। उसके बाद हर जिले के बड़े नेता और संघ के नजदीकीयों को विवादित बनाने की कवायद शुरू हुई। मुख्यमंत्री के अपने ही कार्यालय के धर्मा – धर्माणी को लेकर एक पत्र वायरल हो गया। उसके बाद दूसरे पत्र में परमार और बिंदल तथा रविन्द्र रवि निशाने पर आ गये। इसी दौरान अनिल शर्मा और महेंद्र सिंह में मोर्चा खुल गया। महेंद्र सिंह सभी के निशाने पर आ गये। कांगड़ा में उद्योग मंत्री विक्रम भी पत्र बम के शिकार हुये। सरवीन चौधरी के खिलाफ विजय मनकोटिया आ गये। इंदु गोस्वामी को भी संगठन और सरकार के खिलाफ पत्र लिखना पड़ा। उपचुनाव में सुरेश भारद्वाज राजीव बिंदल और राकेश पठानिया सभी के चुनावी प्रबंधन कौशल की हवा निकल गयी। अभी नड्डा के अपने ही गृह जिले में उसके अपने ही लोग उससे नहीं मिल पाये और उल्टे मामलों के शिकार बन गये।

इस तरह यदि पूरी वस्तु स्थिति पर निष्पक्ष नजर डालें तो भाजपा का हर वह नेता तो देर सवेर नेतृत्व का दावेदार हो सकता था इस समय किसी न किसी कारण से विवादितों की कतार में आ गया है। इस सब में

शेष पृष्ठ 8 पर.....

पारम्परिक आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को दें बढ़ावा:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि आयुर्वेद भारत की स्थायी चिकित्सा पद्धति है, जिसे आज दुनिया अपना रही है।

राज्यपाल ने यह बात कांगड़ा के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पपरोला में विभिन्न संकायों के विभागाध्यक्षों को संबोधित करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि यह विडंबना है कि आयुर्वेद चिकित्सा को वैकल्पिक चिकित्सा के तौर पर लिया जाता है, जबकि यह स्थायी है और हर घर में मौजूद है। उन्होंने कहा कि इस मानसिकता को बदलने में यह महाविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को सरकार व्यापक रूप से बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में आयुर्वेदिक काढ़ा और क्वाथ को व्यापक स्तर पर मान्यता मिली है।

आर्लेकर ने महाविद्यालय परिसर में हर्बल गार्डन स्थापित करने के लिये प्रशासन की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह के हर्बल गार्डन दैनिक जीवन शैली के हिस्से होने चाहिये। इस के माध्यम से हम औषधीय पौधों के प्रति अन्यों को भी प्रेरित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस विषय में उन्होंने राज्य के वन विभाग से बात की है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी इस कार्य में उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकते हैं।

महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. विजय चौधरी ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा महाविद्यालय के इतिहास, शोध कार्यों, विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 14 विषयों में यहां विशेषज्ञता उपलब्ध करवाई जा रही है और हर वर्ष करीब 56 विद्यार्थी यहां से विशेषज्ञता हासिल करके निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां करीब 200 बिस्तरों की सुविधा वाला अस्पताल भी उपलब्ध है और हर साल 50 से 60 परियोजनाओं पर शोध कार्य किया जा रहा है।

कांगड़ा के उपायुक्त निपुण जिंदल ने इस अवसर पर राज्यपाल को स्थानीय स्तर पर गैर सरकारी संगठनों द्वारा तैयार काढ़ा और बांस से तैयार किये गए अन्य उत्पादों की भी जानकारी दी।

इससे पूर्व, राज्यपाल ने परिसर के विभिन्न संकायों का दौरा किया। उन्होंने हर्बल गार्डन में रुद्राक्ष का पौधा भी रोपा।

कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक खुशाल शर्मा तथा जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

इससे पूर्व राज्यपाल ने कांगड़ा जिला के बैजनाथ स्थित प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना भी की।

राज्यपाल ने की शहीद विवेक कुमार के परिजनों से भेंट

शहीद के पैतृक गांव जाकर परिवार को सांत्वना दी

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर उपमंडल के तहत अप्पर ठेहडू गांव में शहीद लांस नायक विवेक कुमार के घर जाकर उनके परिजनों से भेंट की और उन्हें सांत्वना दी।

लांस नायक विवेक कुमार 8 दिसम्बर को तमिलनाडु में कुन्नूर के निकट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे। इस त्रासदी में देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और सेना के 11 वीर जवानों को भी राष्ट्र ने खो दिया। वह पिछले डेढ़ बर्ष से सीडीएस विपिन रावत की सुरक्षा में बतौर निजी सुरक्षा अधिकारी तैनात थे और डेढ़ बर्ष से दिल्ली में ही उनकी पोस्टिंग थी। आर्लेकर ने कहा कि शहीद विवेक कुमार हिमाचल के वीर सपूत है और देश को उनकी शहादत पर हमेशा गर्व रहेगा। उन्होंने कहा कि पूरा देश शहीद के परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में शामिल है। उन्होंने कहा कि शहीद विवेक समाज के लिये प्रेरणा का स्रोत हैं।

जयसिंहपुर के विधायक रविन्दर धीमान, उपायुक्त कांगड़ा डॉ.निपुण जिंदल, पुलिस अधीक्षक खुशाल शर्मा तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

सीसीटीएनएस के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश पुलिस का शानदार प्रदर्शन

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (सीसीटीएनएस) के कार्यान्वयन में देश के पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू और उनकी टीम को बधाई दी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), नई दिल्ली में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुड प्रेक्टिसिज इन क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) और इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सीसीटीएनएस के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश पुलिस के शानदार प्रदर्शन से इस तकनीक का दैनिक कार्यों में और अधिक कुशलता से प्रयोग करने के लिए पुलिस का मनोबल बढ़ेगा। यह पहाड़ी राज्यों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है और दस पहाड़ी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए हिमाचल प्रदेश को लगातार दूसरे वर्ष इस उपलब्धि से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को तय करने के लिए हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर परिनियोजन, नेटवर्क कनेक्टिविटी, डेटा माइग्रेशन, क्षमता निर्माण जैसे 22 अलग-अलग मापदंड निर्धारित किए गए हैं।

पॉवर कार्पोरेशन ने बडे उल्लास से मनाया 15वां स्थापना दिवस

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन द्वारा 15वां स्थापना दिवस बडे उल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया । निगम के कार्पोरेट कार्यालय में मनमोहन शर्मा, प्रबन्ध निदेशक ने ध्वजारोहाण किया । स्थापना दिवस के उपलक्ष पर केंद्रीय आलू संस्थान के सभागार में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम

का आयोजन किया गया ।

इस अवसर पर मनमोहन शर्मा ने कहा कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन ने एक ओर जलविद्युत परियोजना को कमीशन कर एक ओर उपलब्धि हासिल की है । पॉवर कार्पोरेशन ने 111 मेगावॉट की सावडा-कुड्डू जल-विद्युत परियोजना को पूर्ण कर अपनी उत्पादन क्षमता को बढाकर 281 मेगावाट कर दिया है । उन्होने कहा कि फ्रेंच डवलेपमैन्ट एजेन्सी ए0एफ0डी0 से वित्त पोषित होने वाली 48 मेगावाट की चांजू-3 जलविद्युत परियोजना और 30 मेगावॉट की देवथल चांजू जलविद्युत परियोजना के कार्य अगले वित्त वर्ष में आरम्भ हो जाएंगे। 48 मेगावाट की चांजू-3 जलविद्युत परियोजना के सिविल और इल्कट्रोमैकेनिकल के कार्य के लिए निविदाएं आमन्त्रित की जा चुकी हैं।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार की केबिनेट कमेटी ऑफ इक्नोमिक अफेयर द्वारा रेणुकाजी डैम परियोजना हेतू 15 दिसम्बर 2021 को 6947 करोड रूपये की राशि अनुमोदित कर दी गई है जिससे परियोजना को आरम्भ करने को मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस परियोजना को भारत सरकार की तकनीकि सलाहकार समिति द्वारा पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है। उन्होने कहा कि हिमाचल प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन द्वारा स्थापित समस्त परियोजनाएं सुचारू रूप से कार्य कर रही है तथा राज्य के लिए अच्छा राजस्व प्राप्त हो रहा है। उन्होने बताया कि 580 मेगावाट की दो जलविद्युत परियोजनाएं क्रमश: 450 मेगावाट की शोंगटोंग कडछम जलविद्युत परियोजना और 130 मेगावाट की कांशग स्टेज 2 व 3 परियोजनाएं निर्माणाधीन है ।

उन्होंने निगम के कर्मचारियों से और अधिक मेहनत करने की अपील की, जिससे निगम को आबंटित परियोजनाएं समयबद्व पूर्ण की जा सके। मनमोहन शर्मा ने निगम के स्थापना दिवस पर सभी कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर निगम के कर्मचारियों एवं परिवारजनों के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसमें निगम के कर्मचारियों एवं उनके बच्चों द्वारा लोक एवं फिल्मी गीतों की प्रस्तुतियों द्वारा दर्शकों का मनोरजंन किया गया।

इस अवसर पर 15 वें स्थापना दिवस पर आयोजित की गई खेल कूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा

अन्य सहयोगी

राजेश ठाकुर

सुदर्शन अवस्थी

राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर राजभवन शिमला से वर्चुअल माध्यम से गुजरात के सरदार पटेल सभागार, अमूल, आनंद में आयोजित राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉन्क्लेव को संबोधित किया।

इस अवसर पर प्राकृतिक खेती को अपनाने वाले प्रदेश के प्रगतिशील किसानों को राजभवन में आमंत्रित किया गया था। इन किसानों ने भी राज्यपाल के साथ प्रधानमंत्री का संबोधन सुना।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती वाला राज्य बनने की दिशा की ओर अग्रसर है। उन्होंने परामर्श दिया कि प्रधानमंत्री के आहवान पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाएंगे और अमृत महोत्सव के अवसर पर हम हर पंचायत के कम से कम एक गांव को प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लक्ष्य को पूरा करेंगे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई बार हिमाचल प्रदेश का उल्लेख किया है क्योंकि प्राकृतिक खेती की शुरुआत सबसे पहले हिमाचल से हुई थी, इसलिए प्राकृतिक खेती को अपनाने में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें दृढ़ प्रयास करने चाहिए ताकि वर्ष 2022 तक हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक खेती अपनाने वाले राज्य के रूप में जाना जाए।

राज्यपाल ने किसानों से भी बातचीत की और किसानों ने प्राकृतिक खेती के बारे में अपने अनुभव साझा किए।

इससे पूर्व राज्यपाल के सचिव प्रियतु मंडल ने किसानों को कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराया।

परियोजना निदेशक, सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती राकेश कंवर ने राज्यपाल का स्वागत किया और हिमाचल प्रदेश में कृषि पद्धति की वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत करवाया और उन्हें इस दिशा में किए जा रहे विभिन्न कार्यों की जानकारी भी दी।

नेशनल टैस्टिंग एजेन्सी 16 जनवरी को करवाएगी इग्नू के पीएचडी की प्रवेश परीक्षा

शिमला/शैल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के विभिन्न विषयों में पीएचडी. (PhD) कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए नेशनल टैस्टिंग एजेन्सी (NTA) देशभर में 16 जनवरी, 2022 को प्रवेश परीक्षा (Entrance Test) आयोजित करवायेगी। प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाईन पंजीकरण प्रारम्भ हो चुका है।

इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, खलीणी, शिमला के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. जोगिन्दर कुमार यादव ने पीआईबी को बताया कि इग्नू के उक्त कार्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी वैबसाईट www.ignou.ac.in. पर लागऑन कर पंजीकरण (Registration) करवा सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 22 दिसम्बर, 2021 निश्चित की गयी है। अधिक जानकारी के लिए इग्नू की वैबसाईट: www.ignou.ac.in. पर लागऑन कर या इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, खलीणी, शिमला के दूरभाष संख्या 0177-2624612 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने वाराणसी में मुख्यमंत्रियों के कॉन्क्लेव में भाग लिया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने वाराणसी में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कॉन्क्लेव में

भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की। उन्होंने राज्यों द्वारा केन्द्र प्रायोजित विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने शून्य बजट प्राकृतिक खेती पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और राज्य सरकार किसानों की आय को कई गुणा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार प्राकृतिक खेती की विभिन्न तकनीकों जैसे गोमूत्र, गोबर और अन्य स्थानीय उर्वरकों का प्रयोग कर उगाए गए कृषि एवं बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य प्राकृतिक खेती की श्रेष्ठ पद्धति को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ प्रयास कर रहा है और किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। राज्य में वर्ष 2018 में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना शुरू की गई। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के लिए 153643 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है और वर्तमान में 9192 हेक्टेयर भूमि पर इस पद्धति से खेती की जा रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों की आय में 63.6 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गयी है। फसल विविधिकरण को बढ़ावा मिला है क्योंकि किसान कम से कम नौ फसलें एक साथ उगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती करने से उत्पादन और किसानों की आय में भी में वृद्धि हुई है।

जय राम ठाकुर ने राज्य में केन्द्र व राज्य की योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की उन्नति व जनकल्याण के प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी।

कॉन्क्लेव में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप-मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की मण्डी रैली की तैयारियों का जायजा लिया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मण्डी स्थित पढढल मैदान में आगामी 27 दिसम्बर, 2021 को प्रदेश सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रस्तावित प्रधानमंत्रै नरेन्द्र मोदी की रैली की

तैयारियों का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इस रैली की सभी तैयारियां समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि इसे एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में याद रखा जा सके। उन्होंने आयोजन के दौरान यातायात प्रबंधन के लिए प्रभावी कदम उठाने के भी निर्देश दिए ताकि आम लोगों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

जय राम ठाकुर ने कहा कि इस अवसर पर आयोजित होने वाले ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह के लिए भी सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएं।

इस अवसर पर सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, विधायक राकेश जम्वाल, विनोद कुमार एवं इन्द्र सिंह गांधी, वूलफेड के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर, मुख्यमंत्री के ओएसडी महेन्द्र धर्माणी, बाल कल्याण परिषद की महासचिव पायल वैद्य, जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा, उपायुक्त अरिंदम चौधरी, पुलिस अधीक्षक शालनी अग्निहोत्री उपस्थित थे।

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए जमीनी स्तर पर ठोस उपाय करने की आवश्यकता:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रगति और प्रकृति के बीच सामंजस्य बनाकर ही जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है। यह बात मुख्यमंत्री ने पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित सुदृढ़ हिमालय सुरक्षित

भारत, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन-2021 की अध्यक्षता करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए हमें जमीनी स्तर पर ठोस उपाय करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार सिचाई सुविधाओं को मजबूत करने, कृषि उत्पादन बढ़ाने, सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार, आर्थिक सुरक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे पर्यावरणीय स्थिरता, जलवायु परिर्वतन अनुकुलन और दीर्घकालिक सामुदायिक सशक्तिकरण पर ध्यान केन्द्रित कर रही है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य में सत्त विकास और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं। वातावरण में कार्बनडाइऑक्साइड के स्तर को कम करने के लिए प्रदेश सरकार हरित ईंधन जैसे जल विद्युत और सौर उर्जा के प्रयोग पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश जल विद्युत संसाधनों में बहुत समृद्ध है और भारत की कुल क्षमता का लगभग 25 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में है। राज्य की कुल जल विद्युत क्षमता में से अभी तक 10,519 मेगावाट का दोहन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए प्रदेश में शीघ्र ही राज्य स्वच्छ ईंधन नीति लाई जाएगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि जलवायु परिर्वतन की समस्या से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें सार्थक ग्लोबल वार्मिंग कानून का समर्थन करना होगा तथा बिजली संयंत्रों की ऊर्जा दक्षता में सुधार के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रतों का उपयोग भी बढ़ाना होगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल जलवायु परिर्वतन सन्दर्भ केन्द्र का शिलान्यास भी किया। भारत में जर्मनी के राजदूत वाल्टर जे. लीनेयर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व में कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। इस समस्या से निपटने के लिए सभी को प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने सम्मेलन के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि वैज्ञानिक इस मुद्दे पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सीसी एवं डीआरआर पर नॉलेज नेटवर्क के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए। उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना भाग-2 और हिमाचल प्रदेश में सीएएफआरआई कार्यक्रम भी लॉच किया।

स्टूडेंट एजुकेशनल एण्ड कल्चरल मूमेंट ऑफ लद्दाख के अध्यक्ष सोनम वांगचुक ने हिमाचल प्रदेश द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए गए महत्वाकांक्षी उपायों की सराहना की। उन्होंने जलवायु साक्षरता की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आपदाओं को रोकने के लिए समय पर सार्थक कदम उठाए जाने चाहिए। शैक्षणिक शोध संस्थानों में स्थानीय क्षेत्रों से सम्बन्धित चुनौतियों का अध्ययन किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धान प्राधिकरण के महानिदेशक कमल किशोर ने कहा कि हर क्षेत्र की आपदा प्रबन्धन योजना बनाई जानी चाहिए। उन्होंने सभी राज्यों में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन की आवश्यकता पर बल दिया।

वरिष्ठ सलाहकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार डॉ. अखिलेश गुप्ता ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग विश्वभर में एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने बहु जोखिम चेतावनी प्रणाली तंत्र विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रबोध सक्सेना ने मुख्यमंत्री और सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और सम्मेलन के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

निदेशक पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सुदेश कुमार मोकटा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, उत्तराखण्ड विस्थापन बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉ. एसएस नेगी, संयुक्त सचिव राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण कुणाल सत्यार्थी, सचिव पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन उत्तर प्रदेश आशीष तिवारी, पूर्व विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आरआर रश्मी, राजस्थान के ट्री-मैन, पदमश्री हिम्मताराम भांभू, आईआईएस के वैज्ञानिक डॉ. अनिल कुलकर्णी, निदेशक जलवायु परिवर्तन डॉ. आशीष चतुर्वेदी, विभिन्न सचिव, विश्वविद्यालय के कुलपति, विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

छठे राज्य वित्त आयोग की अवधि 31 अक्तूबर, 2022 तक बढ़ाने की अनुशंसा

शिमला/शैल। छठे हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त आयोग की तीसरी बैठक आज यहां आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।

बैठक में छठे राज्य वित्त आयोग की अवधि 31 अक्तूबर, 2022 तक बढ़ाने की अनुशंसा की गयी।

बैठक को सम्बोधित करते हुए सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि छठे राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग की 26 मार्च, 2021 को आयोजित दूसरी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि पंचायती राज और शहरी विकास विभाग की ओर से स्थानीय निकायों की आय व व्यय के ब्यौरे तथा अन्य जानकारियों से सम्बन्धित प्रश्नावली सभी स्थानीय निकायों को सूचना प्रदान करने के लिए प्रेषित की जाए। इन विभागों के परामर्श पर अप्रैल, 2021 के अंत तक प्रश्नावली तैयार कर ली गयी थी। इस बीच कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने पूरे देश सहित हिमाचल प्रदेश में भी विपरीत प्रभाव डाला और पूर्णबंदी के कारण मई, 2021 में सभी कार्यालयों में कर्मचारियों की सीमित उपस्थिति में कार्य चलता रहा।

उन्होंने कहा कि जून, 2021 के अन्त तक सभी स्थानीय निकायों को यह प्रश्नावली भेज दी गयी थी। इसके उपरांत से आयोग द्वारा स्थानीय निकायों से वांछित सूचना प्राप्त करने के लिए लगातार सम्पर्क किया जा रहा है, लेकिन अभी तक लगभग 20 प्रतिशत स्थानीय निकायों से ही सूचना प्राप्त हो सकी है। उन्होंने कहा कि अक्तूबर-नवम्बर, 2021 में हुए उप चुनावों में सम्बन्धित स्टाफ की डयूटी के कारण भी स्थानीय निकायों से यह सूचना प्राप्त करने में विलम्ब हुआ है।

आज की बैठक में छठे राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 दिसम्बर, 2021 से बढ़ाकर 31 अक्तूबर, 2022 करने की अनुशंसा प्रदेश सरकार से की गयी है।

सदस्य सचिव छठा राज्य वित्त आयोग एवं सलाहकार (योजना) डॉ. बासु सूद ने आयोग के अध्यक्ष का स्वागत एवं बैठक का संचालन किया।

बैठक में आयोग के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।

सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है।
.....चाणक्य

सम्पादकीय

घातक होगा सार्वजनिक सवालों पर बहस से भागना

वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने का विधेयक लोकसभा में बिना बहस के पारित हो गया है। इसे चुनाव सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम कहा जा रहा है। इस विधेयक को लोकसभा में लाये जाने से पहले चुनाव आयोग और पीएमओ के बीच एक बैठक होने का विवाद भी उभरा था। इस विवाद के परिदृश्य में यदि इस चुनाव सुधार पर संसद में बहस हो जाती तो अच्छा होता। लेकिन ऐसा हो नही पाया। शायद इस सरकार की यह संस्कृति ही बन गयी है कि विपक्ष की कोई भी बात सुननी ही नहीं है। जिस तरह से प्रधानमंत्री भी केवल अपने मन की ही बात जनता को सुनाने के सिद्धांत पर चलते आ रहे हैं उनकी सरकार भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है। दर्जनों उदाहरण इस चलन के नोटबंदी से लेकर कृषि कानूनों के पास होने से लेकर उनके वापिस होने तक के मौजूद हैं। इस चलन में सबसे बड़ी कमी यही होती है कि आप हर बार हर समय ठीक नहीं हो सकते। आर्थिक क्षेत्र में जितने भी फैसले लिये गये हैं उनका ठोस लाभ केवल 10% समृद्ध लोगों को ही मिला है और बाकी के नब्बे प्रतिशत के तो साधन ही कितने चले गये हैं। सरकार जिस तरह से बड़े पूंजीपतियों की पक्षधर होकर रह गयी है उसका सबसे बड़ा प्रमाण सरकार की विनिवेश योजना है। जिसके तहत अच्छी आय देने वाले राष्ट्रीय राजमार्गो, रेलवे ट्रैक, रेलवे स्टेशन, ट्रेन, हवाई अड्डे, बंदरगाह, ऊर्जा उत्पादन और ट्रांसमिशन, तेल और गैस पाइपलाइनज, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर तथा खनिज और खानों को निजी क्षेत्र में सौंपकर इससे छ:लाख करोड़ जुटाने की योजना है। इसी विनिवेश के तहत सरकारी बैंकों को भी प्राइवेट सेक्टर को देने का विधेयक लाया जा रहा था जिसे बैंक कर्मचारियों की हड़ताल और पांच राज्यों में होने वाले चुनावों में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका से टाल दिया गया। लेकिन देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ अदानी कैपिटल की हुई हिस्सेदारी से इसका श्रीगणेश कर दिया गया है।

बैंकिंग देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में 2014 –15 से 2020–2021 तक कमर्शियल बैंकों का एनपीए दो लाख करोड़ से बढ़कर 25.24 लाख करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन इनमें रिकवरी केवल 593956 करोड़ ही हो पायी है जबकि 10,72116 करोड़ की कर्ज माफ कर दिया गया। इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए इसी अवधि में 1904350 करोड़ को पहुंच गया जिसमें रिकवरी सिर्फ 448784 करोड़ और इसमें 807488 करोड़ का कर्ज इसमें माफ किया गया है। यह सारे आंकड़े आरबीआई से 13.8.21 की एक आरटीआई के माध्यम से सामने आये हैं। इन आंकड़ों से यह सामने आया है कि इस सरकार के कार्यकाल में करीब बीस लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया गया। इसी कर्ज माफी का परिणाम है कि बैंकों में जमा पूंजी पर लगातार ब्याज कम होता जा रहा है और बैंकों की सेवाएं लगातार महंगी होती जा रही हैं। महंगाई और बेरोजगारी भी इसी सबका परिणाम है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस दिन यह चिन्हित अदारे पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर के हवाले हो जायेंगे उस दिन महंगाई और बेरोजगारी का आलम क्या होगा।

इस सारे खुलासे के बाद यह सवाल जवाब मांगते हैं कि क्या इस सब पर देश के अंदर एक सार्वजनिक बहस नहीं हो जानी चाहिये थी? सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करके कितनी देर देश को चलाया जा सकेगा? जिस देश के बैंकों की हालत यहां तक पहुंच गयी है कि 22219 ब्रांचों वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 60 ब्रांचों वाले अदानी कैपिटल को अपना लोन पार्टनर बनाना पड़ा है यदि वहां के बैंक प्राइवेट हाथों में चले जायें तो आम आदमी का पैसा कितनी देर सुरक्षित रह पायेगा? प्राइवेट बैंक गरीब आदमी को क्यों और किन शर्तों पर कर्ज उपलब्ध करावायेगा? क्या इस वस्तुस्थिति का देर–सवेर हर आदमी पर असर नहीं पड़ेगा? क्या इन सवालों को हिन्दू–मुस्लिम करके नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरीडोर और मथुरा में कृष्ण मूर्ति रखने से महंगाई और बेरोजगारी के प्रश्न हल हो जायेंगे? आज जो नेता और राजनीतिक दल इन सवालों पर मौन धारण करके बैठ गये हैं क्या उनके हाथों में देश सुरक्षित रह पायेगा? क्या ऐसे परिदृश्य में आज संसद से लेकर हर गली चौराहे तक इन सवालों पर बहस नहीं होनी चाहिये?

अन्नदाताओं की समस्या विश्वव्यापी, इसलिए वैश्विक किसान संगठन की जरूरत

गौतम चौधरी

विगत दिनों एकाएक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सार्वजनिक मंच से कृषि सेक्टर से संबद्ध उन तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी, जिससे पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ था। संसद के चालू शीतकालीन सत्र में ध्वनिमत से कृषि कानून को वापस लेने का प्रस्ताव भी परित कर दिया गया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों को आतंकवादी, चरमपंथी, देशद्रोही एवं विकास विरोधी बताने वाले एकदम से पीछे क्यों झांकने लगे? ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके साथ खड़ा समूह बिना किसी शोर के रातों रात आन्दोलनरत किसानों का हिमायती बन गया? इन प्रश्नों पर अलग से विमर्श की जरूरत है लेकिन फिलहाल भारत में मिली किसानों को इस सफलता को वैश्विक रूप देने की जरूरत है। मसलन यह केवल भारत के किसानों की जीत नहीं है अपितु दुनिया के अन्नदाताओं की जीत है और इस जीत का जश्न पूरी दुनिया में मनाया जाना चाहिए, ऐसा प्रचार करने की जरूरत है।

कृषि समस्याओं को लेकर पूरी दुनिया के किसानों को एक मंच पर आने की भी जरूरत है क्योंकि यह संकट केवल एक राजनीतिक या प्रशासनिक क्षेत्रीय इकाई की नहीं है अपितु पूरी दुनिया के अन्नदाता के अस्तित्व की चुनौतियों से जुड़ा हुआ है। विगत कुछ वर्षो में पाकिस्तान, फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, लैटीन अमेरिकी देश, चीन, तुर्की, मिस्र, म्यामार, अफ्रीका के अन्य देशों में व्यापक किसान आन्दोलन देखने को मिले हैं। भारत सहित तमाम देशों में किसानों के साथ एक जैसी समस्या ने उन्हें आन्दोलन के लिए प्रेरित किया। इसलिए अब एक ऐसे मंच की आवश्यकता महसूस हो रही है, जो विश्वव्यापी किसान समस्याओं को लेकर चिंतन, मंथन और आंदोलन की रूपरेखा तैयार करे। साथ ही किसानों की समस्याओं को हल करने में अपनी भूमिका भी सुनिश्चित करे।

सच पूछिए तो विश्वव्यापी किसान समस्याओं के लिए विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोश जैसी वैश्विक वित्तीय संस्थाएं जिम्मेदार है, जो कथित रूप से दुनिया में कल्याणकारी योजनाएं बनाती है और उसके माध्यम से खाद्यान्नों का उपयोग हथियार के रूप में कर रही है। केवल भारत में 80 करोड़ लोगों को सरकार के द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। दुनिया के सभी देशों में इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी की गयी है। सरकार अपने स्तर पर लोगों को अन्न उपलब्ध करा रही है। यह ऐसे ही नहीं हो रहा है। इसके पीछे दुनिया भर में काम करने वाली वित्तीय संस्थाएं योजनाबद्ध तरीके से लगी हुई है।

किसी भी सरकार को अपने नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए सस्ते अनाज की जरूरत पड़ती है। यही करण है कि सरकार अनाजों का समर्थन मूल्य जारी करती है। यहां तक तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन इसके पीछे का जो खेल है वह बहुत खतरनाक है। दुनिया की सरकारें और सरकार समर्थित मीडिया कृषि उत्पाद में लागत मूल्य की तुलना समर्थन मूल्य से नहीं करना चाहती है। हां, उत्पाद बढ़ाने की दिशा में जबर्दस्त प्रचार किया जाता है। यदि राशायनिक खाद, बीज, पानी, जुताई, कृषि श्रम, कीटनाशक आदि का कुल योग किया जाए तो किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। उसी स्थान पर जैसे ही कृषि उत्पाद बाजार या फिर कारखानों के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंचता है तो उसका मुल्य खेत उत्पाद मूल्य की तुलना में तीनगुणा तक बढ़ जाता है। सरकारें नहीं चाहती है कि कृषि उत्पाद की कीमत बढ़े लेकिन औद्योगिक उत्पाद पर सरकार का कोई नियंत्रण ही नहीं होता है।

इसके लिए किसानों को कुर्बान किया जा रहा है क्योकि विश्व बैंक की अघोषित रणनीति है कि दुनिया के किसी भी भाग में आम लोगों को यदि खाना नही मिलेगा तो वहां अशांति होगी और वह अशांति अंततोगत्वा विश्व पूंजी के लिए खतरा पैदा करेगा। फिर विश्व स्तर पर जो शोषण के साम्राज्य विकसित हो रखें हैं उसकी दुकानदारी बंद हो जाएगी और इसके लिए अन्नदाताओं को बली का बकरा बनाया जा रहा है। याद रखिए साम्राज्यवादी शक्तियां किसानों के शोषण पर ही आधारित होती रही है। यह ढ़हता भी तब है जब साम्राज्यवाद के खिलाफ किसान लामबंद हो जाते हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। खासकर भारत में तो इसके उदाहरण हैं ही। मुगल और अंग्रजों को घुल चटाने में किसानों ने बड़ी भूमिका निभाई है।

दुनिया के मानव विकास पर आधारित आंकड़ों की सकारात्मक व्याख्या से एक बात साफ हो गयी है कि अपने आप को सम्पन्न बताने वाले देश, किसान और कृषि मजदूरों के कल्याण के मामले में उतने ही पिछड़े हैं, जितने अन्य गरीब देश। चाहे वे गरीब देश हों या अमीर, वहां के किसान और खेतिहर मजदूरों की स्थिति लगभग एक जैसी है। यानी भारत–पाकिस्तान के कपास उत्पादक किसानों की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका के सचमुच के कपास उत्पादकों की भी नहीं है। कृषि और कृषक समस्याओं को लेकर आए दिन वहां भी आन्दोलन होते रहते हैं। मतलब साफ है कि किसानों की समस्या विश्वव्यापी है। यह समस्या साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा अपने हितों के लिए खड़ी की गयी है। इसके समाधान के लिए किसानों का एक वैश्विक मंच होना चाहिए, जो बिना किसी पूर्वाग्रह के दुनिया के किसानों के कल्याण की चिंता करे।

जल जीवन मिशन के तहत शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर हिमाचल प्रदेश

शिमला। 15 अगस्त 2019 को जलजीवन मिशन योजना की घोषणा के समय हिमाचल प्रदेश के कुल 17.27 लाख ग्रामीण घरों में से 7.62 लाख (44 प्रतिशत) घरों में नल के पानी की आपूर्ति हो रही थी। राज्य सरकार के सफल प्रयासों के चलते अब तक 15.41 लाख (89 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा चुका है और यह तेजी से शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। कोविड-19 महामारी और इसकी वजह से साल 2020-21 में निर्माण गतिविधियों में सीमा निर्धारण के बावजूद जल जीवन मिशन के तहत 7.78 लाख (45 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति को बहाल किया गया। यह सब तब किया गया जब कोविड महामारी के अलावा राज्य भारी बर्फबारी, भूस्खलन और ठंड का सामना कर रहा था जो काफी चुनौतीपूर्ण था और ऐसे हालात में निर्माण गतिविधियों को जारी रखना और उससे जुड़ी सामग्रियों को हिमालयी क्षेत्रों में पहुंचाना आसान नहीं था।

राज्य के गठन के स्वर्ण जयंती वर्ष को यादगार बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग ने वर्ष 2021 को जल की गुणवत्ता और संरक्षण के लिए समर्पित किया है। 25 जनवरी को शुरू हुआ यह अभियान 24 जनवरी 2022 तक जारी रहेगा। इस अभियान के अन्तर्गत तमाम गतिविधियों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य समुदाय को सिर्फ योजना में शामिल करना ही नहीं बल्कि जल आपूर्ति के कार्यों के क्रियान्वयन, मरम्मत व देखभाल जैसे कामों से भी जोड़ना है। इसके माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है जिससे सुदूर हिमालयी क्षेत्रों में हर घर जल योजना के महत्व और इसमें उनकी भूमिका से अवगत कराया जा सके। इस संबंध में रेडियो जिंगल्स का विकास किया गया है जिसे आल इंडिया रेडियो पर प्रसारित किया जाता है। योजना को पंचायत के प्रत्येक सदस्य तक पहुंचाना महत्वपूर्ण है क्योंकि हर घर जल योजना बूम-अप अप्रोच के तौर पर काम कर रही है जिसमें सबकी सहभागिता जरूरी है। विभाग द्वारा इसे लेकर विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 15 अगस्त एंव 2 अक्तूबर के मौके पर पानी से जुड़े विभिन्न मुद्दों और आने वाली चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने 22 मार्च को ग्राम प्रधानों से अपने वर्चुअल संबोधन में जल के विवेकपूर्ण उपयोग की शपथ दिलायी। लोगों ने 'कैच द रेन' अभियान के तहत भू-जल प्रबंधन और जल संरक्षण की शपथ ली। इसी तरह लोग 2 अक्तूबर को प्रधानमंत्री को सुनने के लिए एकत्रित हुये जब वह जीपी/पानी सामी और वीडब्ल्यूएससी को संबोधित कर रहे थे। राज्य के कुल 18,150 गांवों में से 17,518 गांवों में ग्रामीण जल स्वच्छता समिति/पानी समिति का गठन किया जा चुका है जो अपना काम कर रही हैं। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन राज्य की 38 कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ मिलकर सामुदायिक स्वच्छता के लिए जीपीएस/वीडब्ल्यूएससीएस की मदद के लिए काम कर रही हैं। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन द्वारा तैयार की गयी मार्गर्शिका की 30 हजार प्रतियों को मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रयोग में लाने के लिए पीआरआइएस और निगरानी समिति के सदस्यों को वितरति किया गया।

किसी भी प्रकार की विकासात्मक गतिविधियों में शामिल बच्चों को पानी के विवेकपूर्ण उपयोग और उनके स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने की शिक्षा दी गयी। पानी की गुणवत्ता व जल संरक्षण से संबंधित पोस्टरों को सभी 17298 स्कूलों व 17769 आंगवबाड़ी केंद्रों में लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश प्रदेश वह हिमालयी राज्य है जो कुछ पड़ोसी देशों की सीमाओं को भी स्पर्श करता हैं जहां पर पहुंचना कठिन होता है। जल जीवन मिशन की जानकारी को लोगों तक फैलाने के लिए विभाग द्वारा हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कोर्पोरेशन (एचआरटीसी) की भी सहायता ली गयी है जिसके तहत संदशों, चित्रों और स्लोगनों को बसों पर लगाया गया। 27 विभागों में डिपो की होर्डिंग्स लगाकर हर घर नल के पानी की आपूर्ति के लिए विभाग के साथ हाथ मिलाने की पहल की जा रही है। अभी तक 18,079 भित्ति चित्रों और 4,661 होर्डिंग्स के द्वारा गांवों, ग्राम पंचायत इमारतों, बस स्टैंड, प्रखंडों, जिले की प्रशासनिक इमारतों, अस्पतालों व अन्य प्रमुख स्थानों को जागरूकता फैलाने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है।

नियमित रूप से पानी की गुणवत्ता को जांचने के लिए पांच सदस्यीय महिला निगरानी समिति का गठन किया गया है। 26,666 महिलाओं को फील्ड टेस्ट किट का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। जल की गुणवत्ता को मापने के लिए समिति को 15000 एफटीके प्रदान किया गया है। वर्तमान सरकार पारदर्शी शासन प्रणाली में विश्वास करती है, प्रत्येक गांव में पानी की गुणवत्ता की जांच इस व्यस्था में जनता का विश्वास बनाने में मदद करता है।

इस समय राज्य में 28,600 नव नियुक्त पंचायत प्रतिनिधि हैं, इनमें से 15,168 को योजना के कार्यान्वयन, निगरानी व संचालन के लिए विभाग द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में यह बताया गया है कि कैसे नल के पानी की उपलब्धता ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि प्रत्येक घर, स्कूल, आंगनबाड़ी व ग्राम पंचायतों में पीने, दोपहर के भोजन को पकाने, हाथ धोने व शौचालयों में प्रयोग किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है।

राज्य में 1200 हजार स्थानीय लोगों को प्लंबर के रूप में जबकि बाकी 6000 लोगों को फिटर, पंप आपरेटर व तकनीशियन के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। यह हिमाचल प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है क्योकि कई बार सुदूर क्षेत्रों में कुशल जन शक्ति के अभाव में कार्य में रुकावट पैदा हो जाती है। ग्रामीण इलाकों में कुशल लोगों की मौजूदगी से लंबे समय तक पानी की आपूर्ति में सहायता मिलेगी।

पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए राज्य में 56 प्रयोगशालाओं का एक बड़ा नेटवर्क है जिसमें नाममात्र की कीमत पर कोई भी व्यक्ति, स्कूल, गांव या पंचायत द्वारा जरूरत पड़ने पर नमूना लिया जा सकता है। राज्य द्वारा जल के लिए एक परामर्श एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। एनएबीएल से मान्यता प्राप्त इस लैब में 78 पैरामीटर के साथ पानी की गुणवत्ता को परखा जाता है, जो सामान्य पेयजल गुणवत्ता निगरानी प्रोटोकॉल 2013 पर आधारित है। मिशन के अन्तर्गत मण्डी जिले में नई जल परीक्षण प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के दृष्टिकोण के बाद इस मिशन का सार 'कोई भी बाहर नहीं' है। इस पहाड़ी राज्य का लक्ष्य 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण घरों तक पहुंचना और मिशन की सूचनाओं को हर किसी तक पहुंचाना है।

स्वरोजगार की राह प्रशस्त करती मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना

शिमला। प्रदेश के युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। युवाओं को रोजगार प्रदाता बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना युवा उद्यमियों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से युवाओं का रोजगार की तलाश में शहर की ओर पलायन रूका है और प्रदेश में एक नए तरह का वातावरण तैयार हो रहा है, जहां युवा स्वावलम्बन की राह पर आगे बढ़ते हुए रोजगार सृजन की दिशा में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। यह योजना प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हो रही है।

इस योजना के अन्तर्गत युवाओं को विनिर्माण क्षेत्र, व्यापार व चिन्हित सेवा क्षेत्र में एक करोड़ रुपये तक की परियोजना पर लाभ प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश के 18 से 45 आयु वर्ग के पुरूष तथा 18 से 50 वर्ष की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं। एक परिवार का एक व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठा सकता है। योजना के अन्तर्गत 60 लाख रुपये तक की मशीनरी व संयंत्र में निवेश करने पर पुरूषों के लिए 25 प्रतिशत, महिला उद्यमियों के लिए 30 प्रतिशत तथा विधवाओं को 35 प्रतिशत पूंजीगत उपदान का प्रावधान है और 60 लाख रुपये तक के ऋण पर तीन वर्षों तक पांच प्रतिशत ब्याज उपदान प्रदान किया जाता है। वर्ष 2021-2022 में योजना के अन्तर्गत तीन हजार युवा उद्यमियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन उद्योग विभाग के संयुक्त/उप-निदेशक अथवा जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को आधार कार्ड की प्रति तथा हिमाचली प्रमाण-पत्र के साथ जमा करवानी आवश्यक है।

मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना को विस्तार देते हुए अब लघु सेवा व व्यवसायिक उद्यमों की सूची में परिरक्षित चारा इकाइयों की स्थापना, उन्नत डेयरी विकास परियोजना, दूध और दुग्ध उत्पादनों के कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना, फार्म स्टे/एग्रो पर्यटन व फार्म पर्यटन, कृषि के लिए खुदरा दुकानों का निर्माण, कृषि उपकरणों व औजारों का निर्माण, सब्जी के पौध, नर्सरी तैयार करना, उत्तक संवर्द्धन प्रयोगशाला, कृषि उत्पादों का भण्डारण और परिवहन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित वर्टिकल फार्मिंग, पेट्रोल पम्प, ईवी चार्जिंग स्टेशन, एम्बुलेंस, रेशम प्रसंस्करण इकाई, रेशम रीलिंग इकाईयां, ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टेंकर सेवाएं, सर्वेयर यूनिट और ड्रिलिंग जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया है। अब इस योजना के अन्तर्गत गतिविधियों की संख्या बढ़कर 103 हो गयी है।

योजना के तहत अब तक प्रदेश में 860.15 करोड़ रुपये निवेश के 4,862 मामले बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, जिससे प्रदेश के लगभग 14,551 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। प्रदेश में लगभग 430 करोड़ रुपये के निवेश की 2,593 इकाईयां स्थापित की गयी हैं, जिसमें 7,216 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। योजना के अन्तर्गत अभी तक लगभग 147 करोड़ रुपये उपदान के रूप में प्रदान किए गए हैं।

मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना का सरलीकरण कर इसे सुगम बनाया गया है, जिससे प्रदेश के और अधिक युवा उद्यमी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश के युवा उद्यमियों के लिए यह योजना संजीवनी का कार्य कर रही है और प्रदेश को उद्यमी केंद्र के रूप में बदलने की नींव भी तैयार कर रही है। युवा उद्यमी प्रदेश के कुशल और अर्द्ध-कुशल लोगों को रोजगार प्रदान कर बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना से युवाओं की आर्थिकी सुदृढ़ हो रही है और प्रदेश के विकास को भी संबल मिल रहा है। इस योजना का साथ पाकर युवा उद्यमी आत्मनिर्भर हिमाचल के सपने को साकार करने की दिशा में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं।

प्राकृतिक खेती की अवधारणा

पदम श्री डॉ. भारत भूषण त्यागी
बीहटा (बुलंदशहर)

प्राकृतिक खेती की मौलिक अवधारणा भारतीय संस्कृति से प्रेरित है। संस्कृति का तात्पर्य मानव में संस्कार पूर्वक स्वीकृतियों के होने से है अर्थात मानव के द्वारा प्रकृति की हर वास्तविकता को जैसा है वैसा ही समझा और स्वीकारा जाये। यही प्राकृतिक खेती का मूल मंत्र है।

प्राकृतिक खेती प्रत्येक मानव के जीने की आवश्यकता है। व्यवस्था के रूप में मानव और प्रकृति में गहरा संबंध है जिसे समझना और पूरकतापूर्वक निर्वाह होना ही प्राकृतिक खेती है।

आज प्राकृतिक खेती की आवश्यकता इसलिए भी महत्वपूर्ण और अनिवार्य है कि प्रचलित आधुनिक खेती के कारण स्वास्थ्य, पर्यावरण, आर्थिक असंतुलन व कृषि के प्रति बढ़ती उदासीनता जैसी चुनौतियां तेजी से उभर रही हैं।

वर्तमान भारत सरकार ने जिस प्रकार आत्मनिर्भर भारत, कृषक सशक्तिकरण एवं किसानों की आमदनी दोगुना करने की दिशा में आवाहन किया है उसके लिए सही समझ के साथ प्राकृतिक खेती एक सार्थक विकल्प है। यह कोई आदर्शवाद नहीं बल्कि प्रकृति के साथ जीने की वास्तविकता है।

खेती में हरित क्रांति से पहले जो समस्याएं थीं आज वो उससे भी ज्यादा विकराल रूप में है इसलिए समीक्षा पूर्वक समस्या के कारण को ठीक-ठाक पहचाना जाए। एक कृषक होने के नाते सन 1987 में अपनी खेती का आर्थिक विश्लेषण किया, समस्या यह थी कि खेती का उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन किसान की आमदनी नहीं बढ़ रही है। एक वर्ष की जांच में पाया कि खेती की सभी लागत, जुताई, सिचाई, खाद, बीज, दवाई पर बाजार का कब्जा है। उत्पादन की बिक्री और कीमत पर भी बाजार का अधिकार है। प्रोसेसिंग व मूल्य संवर्धन भी बाजार के अधिकार में है। किसान की न कोई परिभाषा है न उसके पास कोई अधिकार है । आय बढ़ाने का कोई अवसर भी किसान के पास नहीं है। इस हरित क्रांति को खेती का बाजारीकरण भी कहा जाये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

आज इस आर्थिक असंतुलन को दूर करने के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से भारत सरकार प्राकृतिक खेती को अपनाये जाने की ओर प्रयासरत है। यह सराहनीय एवं सम्मानजनक पहल है। इसके लिए सतर्कता की विशेष आवश्यकता है। सफलता के लिए सोच में परिवर्तन होना प्राथमिकता है। केवल नाम और तरीके बदलने से कुछ होगा नहीं।

प्राकृतिक खेती के लिए प्राकृतिक उत्पादन व्यवस्था केंद्रित सोच की आवश्यकता है। जिससे गाय के साथ-साथ अन्य सभी प्राकृतिक वस्तुओं की सांझा भूमिका है। कोई एक वस्तु विशेष नहीं है। प्रकृति का मूल सूत्र ही सह-अस्तित्व है। इसलिए देश में कृषि अनुसंधान, शिक्षा, शोध, तकनीकी, विज्ञान, नीति प्रौद्योगिकी आदि प्राकृतिक व्यवस्था केंद्रित हो। परिस्थितियों, घटनाओं, समस्याओं व लाभ केंद्रित विचार धाराओं के कारण ही कृषि तंत्र अधूरा है

प्राकृतिक खेती में प्रयोग रूप में यह देखा गया है कि प्राकृतिक उत्पादन व्यवस्था का स्वरूप पूरकता, विविधता, एवं नैसर्गिक संतुलन पूर्वक धरती की सतह पर निश्चित घनत्व में क्रियाशील है। जिससे एक ही खेत में अनेक फसलें साथ-साथ लगाये जाने से जो उत्पादन प्राप्त होता है वह मात्रा, गुणवत्ता एवं विविधता में एकल फसल प्रणाली से बहुत ज्यादा है। साथ ही भूमि की उर्वरता भी तेजी से बढ़ती है। विविध फसलों के अवशेष भूमि को मिलने से जीवाश्म कार्बन एवं पर्याप्त जीवाणु तंत्र समृद्ध रहता है। ताप- दाब - नमी का संतुलन बने रहने से कीड़े बीमारियों का नियंत्रण होना देखा गया है। बाहरी लागतों की निर्भरता नहीं के बराबर होती है।

उत्पादन वृद्धि से आय वृद्धि हेतु प्राकृतिक खेती का व्यावसायिक प्रबंधन होना आवश्यक है अर्थात खेती में उत्पादन के साथ-साथ गुणवत्ता प्रमाणीकरण, प्रसंस्करण एवं बिक्री हेतु समन्वित कार्य योजना पूर्वक प्राकृतिक खेती की जाए।

प्राकृतिक खेती को सही समझ एवं श्रम नियोजन पूर्वक व्यावसायिक कार्य योजना के रूप में कृषक उत्पादन संगठन प्रारूप में चलाया जाना ग्रामीण स्तर पर आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए प्रभावी आधार हैं व खेती के लिए समाधानात्मक विकल्प है।

कर्मचारियों को जनवरी 2022 से मिलेगा संशोधित वेतनमान

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार के लगभग दो लाख कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। कर्मचारियों को जनवरी, 2022 का वेतन फरवरी, 2022 में संशोधित वेतनमान के अनुसार प्राप्त होगा। इससे राज्य के राजकोष पर प्रतिवर्ष चार हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। प्रदेश सरकार कर्मचारियों को एरियर के रूप में पूर्व में ही लगभग पांच हजार करोड़ रुपये की अन्तरिम राहत प्रदान कर चुकी है। संशोधित वेतनमान के उपरान्त एक लाख पांच हजार एनपीएस कर्मचारियों के उच्च वेतन निर्धारण के चलते प्रदेश सरकार द्वारा न्यू पेंशन स्कीम के अन्तर्गत छः वर्ष के अंशदान के रूप में 260 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। बैठक में अनुबंध कमचारियों के वेतन में वृद्धि का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती (विरासत मामले समाधान) योजना, 2021 को लागू करने को भी अपनी सहमति प्रदान की। इससे कर, फीस, ब्याज, जुर्माना इत्यादि के एरियर जो वसूली के लिए लम्बित हों अथवा अपीलीय फोरम में लम्बित हों अथवा विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत लम्बित कर निर्धारण के निष्पादन के परिणामस्वरूप भविष्य में जमा होने हों, का निपटारा हो सकेगा। इस योजना से ऐसे देय कर मामलों को भी उजागर किया जा सकेगा जिनका अभी तक आंकलन न किया गया हो तथा हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत जिन मामलों में एरियर घोषित किया गया हो, उनका भी निपटारा किया जा सकेगा। इस योजना से ऐसे 1.68 लाख मामलों का निवारण किया जा सकेगा।

मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला के श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र बस्सी को 15 बिस्तर के आयुर्वेदिक अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने और इस अस्पताल में विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित एवं भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने लोगों की सुविधा के दृष्टिगत कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां के ठारू में नया पटवार वृत्त सृजित करने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के चैपाल विधानसभा क्षेत्र के कुपवी में नया उप-मंडल (नागरिक) खोलने को भी अपनी स्वीकृति दी।

बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में निरीक्षक के तीन पद अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला के शिलाई विधानसभा क्षेत्र में स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हलाहन का नाम शहीद कल्याण सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करने का भी निर्णय लिया।

बैठक में मंडी जिला के करसोग क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला महोग, मंडी जिला के कमांद और कुल्लू जिला के बंजार क्षेत्र के गुशैणी में विज्ञान संकाय की कक्षाएं तथा सोलन जिला के अर्की क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बथालंग में वाणिज्य संकाय की कक्षाएं प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

मंत्रिमंडल ने मंडी जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सैंजी, बग्गी, नगवाईं, सेरी कोठी और तल्याहड़ में विद्यार्थियों की सुविधा के दृष्टिगत विज्ञान संकाय की कक्षाएं प्रारम्भ करने का निर्णय लिया।

बैठक में मंडी जिला के सुन्दरनगर क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक पाठशाला मझास, सिराज-2 के काऊ, सुन्दरनगर के जाम्हो जलौण, तिम्बरू और नालिनी और करसोग क्षेत्र मशोग स्कूल को राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने और विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों के सृजन व भरने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने मंडी जिला की ग्राम पंचायत जरल, ग्राम पंचायत बही सरही और ग्राम पंचायत कुफरीधार के कुफरीधार में स्वास्थ्य उप-केंद्र खोलने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इससे इन पंचायतों के लोगों को घर के समीप स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

बैठक में चम्बा जिला के जगत में लोगों की सुविधा के दृष्टिगत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया।

बैठक में सोलन जिला के उप-स्वास्थ्य केंद्र कनैर को स्तरोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने को भी स्वीकृति दी गयी।

मंत्रिमंडल में कुल्लू जिला की ग्राम पंचायत रायसन के मझलीहार और ग्राम पंचायत देवघर के दोहलूनाला में उप-स्वास्थ्य केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के पांच पद हिमाचल प्रदेश संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2021 के माध्यम से नियमित आधार पर भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में मंडी जिला की सुन्दरनगर तहसील के नेरी गांव में फल आधारित वाइन एवं साइडर फैक्टरी स्थापित करने के लिए मै. मयूर इंडस्ट्रीज को आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) जारी करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने स्वर्ण जयंति ग्राम स्वरोजगार (परिवहन) योजना के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की जिससे बेरोजगार युवा इन रूटों पर रियायती कर दर पर 18 सीटर वाहन चला पाएंगे। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की बेहतर सुविधा तथा ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

मंत्रिमण्डल ने जिला चम्बा की उप-तहसील होली को तहसील में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।

बैठक में जिला मण्डी के बलद्वाड़ा तहसील के तहत ढलवाण में नई उप-तहसील खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने जिला कुल्लू की मनाली तहसील में मौजूदा पटवार सर्कलों को पुनः पुनर्गठित निर्माण कर छः नए पटवार सर्कल सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में जिला कांगड़ा के ज्वाली तहसील के मोहाल तथा मौजा पल्हौड़ा में 0-76-79 हेक्टेयर भूमि को एक रुपये के टोकन मूल्य पर निःशुल्क ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के निर्माण के लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पक्ष में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया।

बैठक में जिला कांगड़ा के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में ड्रोन उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान की तथा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने के लिए टर्म ऑफ इंगेजमेंट को अन्तिम रूप देने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने अग्निशमन विभाग में 18 नकारा घोषित वाहनों के स्थान पर 16 नए वाहन खरीदने को स्वीकृति प्रदान की, इसमें छः वाटर टैंडर, चार वाटर बाउजर, चार कम्बाइन्ड फोम और कार्बन डाइऑक्साइड (सीओटू) टैंडर और दो अडवांस वाटर टैंडर शामिल हैं।

बैठक में जिला कुल्लू के आनी विधानसभा क्षेत्र के दूराह तथा कुशवा में राजकीय उच्च विद्यालय को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में आवश्यक पदों के सृजन सहित स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने जिला चम्बा के भरमौर क्षेत्र के निकन्ह तथा चम्बा क्षेत्र के कुरथला में राजकीय प्राथमिक पाठशाला को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में आवश्यक पदों के सृजन सहित स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।

बैठक में जिला सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र के गांव गुदाना, सुनयाड़ी तथा शलैंया में आवश्यक पदों के सृजन सहित नई प्राथमिक पाठशाला खोलने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में जिला सोलन के लोहड़घाट में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत कर इस स्वास्थ्य संस्थान में विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गगल शिकोड़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने तथा जिला सिरमौर के पनोग, जड़ावा तथा चान्दनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा इन स्वास्थ्य संस्थानों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

बैठक में जिला कांगड़ा के डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में सामान्य सर्जरी विभाग के तहत अलग से गुर्दा प्रत्यारोपण सेल स्थापित करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी के नेरचैक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल के समक्ष राज्य में कोविड-19 की स्थिति तथा कोरोना वायरस की सम्भावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियों पर एक प्रस्तुति भी दी गई।

12000 हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के सरदार पटेल सभागार, अमूल, आन्नद में प्राकृतिक खेती विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से सम्बोधित किया। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने भी शिमला से इस सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर किसानों का आहवान किया कि वे अपनी कृषि पैदावार को बढ़ाने तथा अपनी आय को दोगुना करने के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाएं। उन्होंने कहा कि यद्यपि देश की हरितक्रान्ति में उर्वरकों की महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, परन्तु कीटनाशकों तथा आयातीत उर्वरकों से स्वास्थ्य को हो रहे नुकसान एवं बढ़ती लागत के लिए यह अनिर्वाय है कि किसान कोई वैकल्पिक तकनीक अपनाए।

इसके उपरान्त, पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत से मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में अपने पहले ही बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना आरम्भ की तथा इस योजना के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गत लगभग चार वर्षों में प्रदेश में लगभग 1.54 लाख किसान परिवारों ने 9200 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती को अपनाया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष इस योजना के तहत 1.50 लाख किसानों को जोड़कर 12000 हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती की आधार भारतीय नस्ल की गाय की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम 25000 तक तथा पांच हजार रुपये यातायात शुल्क के तौर पर दे रही है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अन्तर्गत विगत साढ़े तीन वर्षों में लगभग 46.18 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने विधानसभा परिसर तपोवन, धर्मशाला में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में बिल्व-पत्र का पौधा रोपित किया। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में कुल 68 पौधे लगाए गए।

विपिन सिंह परमार ने चिनार तथा मंत्रिमंडल के सदस्यों एवं विधायकों ने अर्जुन, आवंला, भेड़ा, बोटल ब्रश, कमलतारा सहित चिनार के पौधे रोपित किए।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पौधों की हमारे जीवन में बेहद अहम भूमिका है। इनके बिना हम अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को रोकने में वनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। वृक्ष हर तरह के प्रदूषण को रोकते हैं, जैव-विविधता बनाए रखते हैं और प्राणियों को स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। उन्होंने लोगों से खाली स्थानों पर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का आहवान किया।

यह कार्यक्रम गैर-सरकारी संगठन एवं सामुदायिक रेड़ियो गुंजन तथा वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था।

इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारी, गुंजन संस्था के निदेशक संदीप परमार, परियोजना निदेशक विजय कुमार और केंद्र सरकार की राज्य स्तरीय समन्वय एजेंसी की निदेशक ज्योति शर्मा भारद्वाज उपस्थित थी।

मुख्यमंत्री ने युवा पीढ़ी को संस्कारों तथा नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने पर बल दिया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि शिक्षा व शिक्षण की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारी भावी पीढ़ियों को अपनी संस्कृति, संस्कारों, सभ्यता व जीवन मूल्यों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। यह बात उन्होंने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान समारोह ''शिक्षा भूषण'' के दौरान अपने संबोधन में कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता एवं समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को चरित्रवान बनाते हैं जो आदर्श नागरिक बनकर राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षक सम्मान समारोह के आयोजन के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की सराहना करते हुए कहा कि महासंघ शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति के साथ-साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और संस्कारों को संजो कर फिर से विश्व गुरु के अपने स्वरूप को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के विद्यार्थियों को प्रारंभिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में अनेक कारगर कदम उठाए हैं। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवोन्मेशी प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गयी है। राज्य सरकार ने प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अनेक महत्वकांक्षी योजनाएं आरंभ की हैं और आज हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में सबसे विकसित राज्यों में से एक है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर और धार्मिक गुरु ज्ञानानंद महाराज ने संयुक्त रूप से तीन शिक्षाविदों प्रो. कपिल कपूर, डॉ. बद्री प्रसाद पंचोली और रेनु दाडेकर को शिक्षा भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की विकासात्मक योजनाओं व कार्यक्रमों पर आधारित विभिन्न विभागों द्वारा लगायी गयी प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर भागवत गीता पर अपने शोध के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानानंद महाराज ने सभी से आध्यात्मिक और नैतिक विकास के लिए वर्तमान में जीने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का प्रायोजन राष्ट्रहित में होना चाहिए।

43.17 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा लोहारली खड्ड पर डबल लेन पुल

शिमला/शैल। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण व खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना ज़िले के गगरेट विधानसभा क्षेत्र में वर्षों पुरानी मांग लोहारली खड्ड पर 500 मीटर लंबे डबल लेन पुल को मंज़ूरी मिलने व इसके लिए 43.17 करोड़ रुपए देने पर केंद्रीय रोड एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है व इस मंज़ूरी को क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौग़ात बताया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ऊना ज़िले के गगरेट विधानसभा में वर्षों से मांग थी कि यहाँ के लोहारली खड्ड पर 500 मीटर लंबे डबल लेन पुल बने। इस माँग को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष प्रमुखता से उठाया गया। यह हर्ष का विषय है कि वर्षों से हमारी इस घोषित व बहुप्रतीक्षित माँग को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से मंज़ूरी मिल गयी है जिसकी नोटिफ़िकेशन भी जारी हो गयी है। मंत्रालय की ओर से इस परियोजना के लिए सीआरआईएफ़ फंड के अंतर्गत रू43.17 करोड़ रुपए मंज़ूर किए गये हैं। अनुराग ठाकुर ने नितिन गडकरी का आभार प्रकट किया।

अनुराग ठाकुर ने कहा यह निर्माण कार्य क्षेत्रवासियों के लिए एक बड़ी सौग़ात लेकर आयेगा। इस पुल के बन जाने से गगरेट व चिंतपुरनी दोनों विधानसभाओं के लोगों को लोहरली से होते हुए पुल से दूसरी तरफ चौकीमीनार तक का सफर आसान होगा। वहीं दोनो विधानसभा के किसान, व्यापारी और कर्मचारियों को भी अपने तय स्थानों तक पहुंचने में आसानी होगी। साथ ही गगरेट के लोगों को चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के दोनो ओर अम्ब, धुसाड़ और यहां तक कि कुटलैहड़ विधानसभा के बंगाणा में सीधे और सरलता से पहुंचने का अवसर मिलेगा। जहां समय की बचत होगी वहीं आवाजाही का खर्च भी सीमित और कम होगा व क्षेत्र के विकास में यह पुल महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।

433 मामलों में वन भूमि को गैर-वन उद्देश्य के लिए परिवर्तित करने की अनुमति

शिमला/शैल। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 9 और 14 दिसम्बर, 2021 द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 202 1995 में दिनांक 11 मार्च, 2019 को पारित आदेश में छूट देते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत 433 मामलों में वन भूमि को गैर-वन उद्देश्य के लिए परिवर्तित करने की अनुमति दी है।

उन्होंने कहा कि 103 परियोजनाओं में 63 सड़कों, 13 विद्युत परियोजनाओं, एक हवाई अड्डा, तीन अनाज और सब्जी मंडियों, चार कॉलेज भवनों, एक अस्पताल, चार बस स्टैंड, एक मार्केट यार्ड, दो रेलवे लाईन, ईवीएम के भंडारण के लिए एक गोदाम, एक मौसम राडार, एक रोपवे, एक हेलीपैड, दो खनन से सम्बन्धित, एक पार्किंग, दो हॉट मिक्स प्लांट, एक पुलिस चैकी और एक एनडीआरएफ के मामले शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि एफआरए 2006 के तहत परियोजनाओं में 13 सामुदायिक केंद्र, 268 सड़क परियोजनाएं, 11 स्कूल, 19 पेयजल आपूर्ति योजनाएं और पानी की पाइपलाइन, 5 लघु सिंचाई नहर या वर्षा जल संचयन संरचनाएं, 10 स्वास्थ्य संस्थान, तीन कौशल उन्नयन और व्यावसायिक परियोजना प्रशिक्षण केंद्र और एक उचित मूल्य की दुकान के मामले शामिल हैं।

पीएमकेएसवाई के तहत रेणुका जी परियोजना को अनुमोदन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार का आभार:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने रेणुका जी बांध परियोजना को पीएमकेएसवाई प्रस्ताव के एक हिस्से के रूप में अनुमोदन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में यमुना नदी की सहायक नदी गिरि पर इस भंडारण परियोजना की एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में परिकल्पना की गयी है। नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रेणुका जी परियोजना को पीएमकेएसवाई के हिस्से के रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2015 में टीएसी ने इस परियोजना की विस्तृत

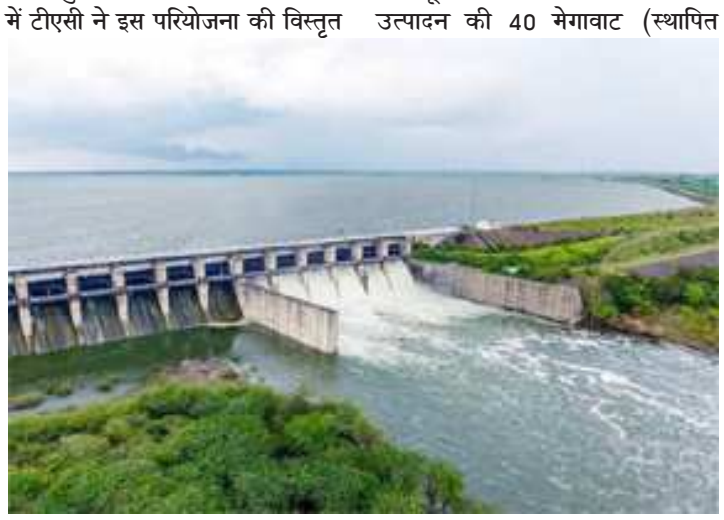

योजना रिपोर्ट को 4596.76 करोड़ रुपये के कुल मूल्य पर स्वीकार किया, हालांकि लाभार्थी राज्यों के बीच अन्तरराज्यीय समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होने के कारण परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

जय राम ठाकुर ने कहा कि परियोजना का निर्माण दिसम्बर, 2022 तक आरम्भ होने की उम्मीद है और यह छह साल में पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कैट जलग्रहण क्षेत्र में विभिन्न सुधार कार्यों पर 160.34 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि परियोजना के कार्यशील होने के बाद प्रभावित क्षेत्र में हर वर्ष वार्षिक राजस्व का एक प्रतिशत वितरित किया जाएगा।

रेणुकाजी बांध परियोजना (हिमाचल प्रदेश)

रेणुकाजी बांध परियोजना में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में गिरि नदी पर 148 मीटर ऊंचे रॉकफिल बांध के निर्माण की परिकल्पना की गयी है, जिसमें 498 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) का लाइव स्टोरेज होगा। जिन लाभों की परिकल्पना की गयी है उनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को जलापूर्ति और आकस्मिक बिजली उत्पादन की 40 मेगावाट (स्थापित क्षमता) शामिल हैं।

परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPPCL) द्वारा निष्पादित करने का प्रस्ताव है।

2000 में डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर की तकनीकी सलाहकार समिति की 72 वीं बैठक में रेणुका बांध पर विचार किया गया था। परियोजना को 2008 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की राष्ट्रीय परियोजना के तहत शामिल किया गया था। हालांकि, यह परियोजना में आगे नहीं बढ़ सकी।

रेणुकाजी बांध परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बेसिन राज्यों के बीच एक समझौता, जिस पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्रियों और मंत्री (डब्ल्यूआर, आरडी और जीआर) द्वारा 11.01.2019 को हस्ताक्षर किए गए।

परियोजना का संशोधित लागत अनुमान रु. 6946.99 करोड़ (मूल्य स्तर अक्तूबर '2018) को 09.12.2019 को आयोजित अपनी 143 वीं बैठक में सिचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर, एमओजेएस की सलाहकार समिति द्वारा भी विचार और स्वीकार किया गया है।

डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर की निवेश मंजूरी समिति द्वारा 07.08.2020 को आयोजित अपनी 13 वीं बैठक में परियोजना के लिए निवेश मंजूरी पर विचार और सिफारिश की गयी है।

2021-26 के दौरान पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन के साथ-साथ परियोजना के वित्तपोषण को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

राष्ट्रीय परियोजना योजना के मानदंडों के अनुसार, परियोजना के जल घटक के कार्य भाग के लिए 90% लागत भारत सरकार द्वारा प्रदान की जानी है। जल घटक की शेष 10% लागत सभी बेसिन राज्यों द्वारा जल आवंटन के अनुपात में साझा की जानी है। इसके अलावा, 11.01.2019 को हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार, एनसीटी दिल्ली सरकार परियोजना के बिजली घटक की 90% लागत वहन करने के लिए सहमत हो गयी है, और शेष 10% बिजली घटक हिमाचल प्रदेश द्वारा वहन किया जाना है।

हिमाचल सदन और हिमाचल भवन में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ खोले गए

शिमला/शैल। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि नई दिल्ली, चंडीगढ़ और निकटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले हिमाचल के लोगों की सुविधा के लिए हिमाचल सदन, नई दिल्ली और हिमाचल भवन चंडीगढ़ में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (सीएम विंडो) खोले गए हैं।

उन्होंने बताया कि शिकायत दर्ज करने के लिए हिमाचल सदन नई दिल्ली में स्थापित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में दूरभाष नम्बर 011-21610380 और हिमाचल भवन चंडीगढ़, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में दूरभाष नम्बर 0172-2637504 के माध्यम से सम्पर्क किया जा सकता है। इन शिकायत निवारण प्रकोष्ठों में शिकायत अथवा सुझाव देने के लिए ड्रॉप बॉक्स भी लगाये गये हैं।

उन्होंने बताया कि हिमाचल के लोगों की शिकायतों का तत्काल समाधान एवं सुझावों पर समय सीमा के भीतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

डलहौज़ी तक रेल-लाइन विस्तार हेतु रेल-मंत्री से अनुरोध

शिमला/शैल। चम्बा-कांगड़ा के लोकसभा सदस्य किशन कपूर ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव से भेंट कर उनसे हिमाचल प्रदेश के आकांक्षी ज़िला चम्बा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल डलहौज़ी को पठानकोट रेल-मार्ग से जोड़ने के प्रस्ताव को आगामी वर्ष के बज़ट में सम्मिलित करने का अनुरोध किया।

सांसद किशन कपूर ने रेल मंत्री को बताया कि सांस्कृतिक रूप से सम्पन्न प्रदेश के जिला चम्बा में स्थित पर्यटन स्थल डलहौज़ी एक ऐतिहासिक नगर है जिसका सम्बन्ध नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और क्रांतिकारी सेनानीअजीत सिंह से भी है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के साथ डलहौज़ी केंट और बकलोह जैसी छावनियां भी जुड़ी हैं जहां से सैनिकों की आवाजाही बनी रहती है। उन्होंने कहा कि सुरंग-तकनीक के माध्यम से इस रेल मार्ग के निर्माण की लागत को भी कम किया जा सकता है।

केंद्रीय रेल मंत्री ने डलहौज़ी को रेल लाइन से जोड़ने के प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

संवैधानिक अधिकारों की शव यात्रा पर राजद्रोह क्यों नही:बसपा

- सामान्य वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना मंत्रिमंडल की बैठक से गायब क्यों रही
- मंडी में क्यों बड़े दलित अत्याचार के मामले
- ओबीसी भी पूरा 27% आरक्षण लागू किये जाने की मांग पर आ गये हैं

शिमला/शैल। प्रदेश के स्वर्ण संगठन जातिगत आरक्षण समाप्त करके सारा आरक्षण आलथक आधार पर करने और एट्रोसिटी एक्ट खत्म करने की मांग करते रहे हैं। मंडल बनाम कमण्डल आंदोलन के दौरान तो यह विरोध प्रदेश में आत्मदाह के प्रयासों तक पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद अब जयराम सरकार के समय में यह विरोध फिर मुखर हो उठा है। बल्कि इस दौरान दलित उत्पीड़न के मामलों में भी वृद्धि हुई है। दलित वर्ग से ताल्लुक रखने वाले मंत्री तक को मंडी में मन्दिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था। स्वर्ण समाज का यह विरोध उस समय पूरी तरह खुलकर सामने आ गया जब 15 से 21 नवम्बर के बीच एट्रोसिटी अधिनियम की राजधानी शिमला में भी शव यात्रा निकाली गयी। प्रशासन इस शव यात्रा पर पूरी तरह खामोश रहा जबकि एट्रोसिटी अधिनियम संविधान द्वारा इन वर्गों को दिया गया अधिकार है। ऐसे में यह शव यात्र एक तरह से संविधान की ही शव यात्रा बन जाती है और इस तरह से राष्ट्रद्रोह के दायरे में आती है। दलित समाज की मांग के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई कदम न उठाया जाना और धर्मशाला में विधानसभा सत्र के दौरान स्वर्ण संगठनों के आन्दोलन के दबाव में मुख्यमंत्री द्वारा सामान्य वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना जारी करवा दिये जाने से यह मामला एक अलग ही पायदान पर पहुंच गया है।

प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी ने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्यपाल को इस संदर्भ में एक ज्ञापन सौंपकर शव यात्रा निकालने वालों और इस पर संवद्ध प्रशासन के मौन रहे अधिकारियों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के तहत मामला दर्ज करके कारवाई करने की मांग की है। बसपा ने इस आशय का एक ज्ञापन भी राज्यपाल को सौंपा है। इस ज्ञापन में बसपा ने मुख्यमंत्री के गृह जिले मंडी और उनके ही चुनाव क्षेत्र सिराज में हुए दलित उत्पीड़न के मामलों को प्रमुखता से उठाया है। सिराज में हुए पदम देव हत्याकांड कमल जीत उर्फ कोमल हत्याकांड और द्रंग में 80 वर्षीय बुजुर्ग से हुई मारपीट तथा जोगिन्द्र नगर में 11 वर्षीय बच्ची के साथ हुए बलात्कार के मामलों का जिक्र करते हुये आरोप लगाया गया है कि एट्रोसिटी एक्ट को हटाने की मांग करके इन वर्गों के खिलाफ अत्याचार करने की छूट की मांग की जा रही है।

क्योंकि संविधान द्वारा दिए गए इस अधिकार के बावजूद भी दलित अत्याचार के इन मामलों पर कार्रवाई न होना अपने में यही प्रमाणित करता है।

दूसरी और स्वर्ण संगठनों की मांग पर सरकार ने धर्मशाला में सामान्य वर्ग के लिए आयोग के गठन की अधिसूचना जारी करके आन्दोलन की धारा को तो रोक दिया है। लेकिन इस अधिसूचना के बाद मंत्रिमंडल की हुई पहली बैठक में अधिसूचना का मुद्दा न आने से भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि आन्दोलनकर्ताओं की मांग है जातिगत आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट को समाप्त करना। लेकिन यह दोनों ही संविधान द्वारा दिये गये अधिकार हैं। इनमें कोई भी संशोधन करना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसमें राज्य सरकार या उसके द्वारा गठित आयोग की कोई भूमिका ही नहीं है। यहां तक कि ऊंची जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़ा को 10 प्रतिशतआरक्षण 1991 में नरसिंह राव सरकार ने दिया था उसे भी सर्वोच्च न्यायालय 1992 में आये इन्दिरा साहनी मामले के फैसले में रद्द कर चुका है। फिर अन्य पिछड़े वर्गों को जो 27 प्रतिशत आरक्षण मिला है उस पर भी प्रदेश में पूरी तरह अमल नहीं हो पाया है। यह वर्ग भी इस पर अमल की मांग को लेकर सामने आ रहा है। इस परिदृश्य में जयराम सरकार के लिये आने वाला समय काफी रोचक रहने वाला है।

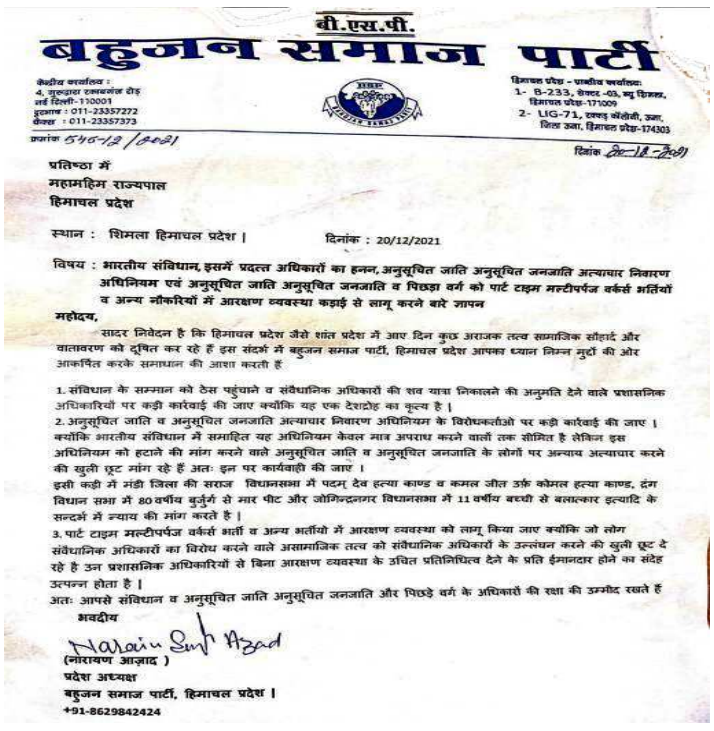

बी.एस.पी.
बहुजन समाज पार्टी

केंद्रीय कार्यालय :
4, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड
नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23357272
फैक्स : 011-23357373

हिमाचल प्रदेश - प्रांतीय कार्यालय:
1- B-233, सेक्टर -03, न्यू शिमला, हिमाचल प्रदेश-171009
2- LIG-71, रक्कड़ कॉलोनी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश-174303

क्रमांक 546-12/2021
दिनांक 20-12-2021

प्रतिष्ठा में
महामहिम राज्यपाल
हिमाचल प्रदेश

स्थान : शिमला हिमाचल प्रदेश । दिनांक : 20/12/2021

विषय : भारतीय संविधान, इसमें प्रदत्त अधिकारों का हनन, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग को पार्ट टाइम मल्टीपर्पज वर्कर्स भर्तियों व अन्य नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था कड़ाई से लागू करने बारे ज्ञापन

महोदय,

सादर निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश जैसे शांत प्रदेश में आए दिन कुछ अराजक तत्व सामाजिक सौहार्द और वातावरण को दूषित कर रहे हैं इस संदर्भ में बहुजन समाज पार्टी, हिमाचल प्रदेश आपका ध्यान निम्न मुद्दों की ओर आकर्षित करके समाधान की आशा करती हैं

1. संविधान के सम्मान को ठेस पहुंचाने व संवैधानिक अधिकारों की शव यात्रा निकालने की अनुमति देने वाले प्रशासनिक अधिकारियों पर कड़ी कारवाई की जाए क्योंकि यह एक देशद्रोह का कृत्य है ।

2. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के विरोधकर्ताओ पर कड़ी कारवाई की जाए । क्योंकि भारतीय संविधान में समाहित यह अधिनियम केवल मात्र अपराध करने वालों तक सीमित है लेकिन इस अधिनियम को हटाने की मांग करने वाले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अन्याय अत्याचार करने की खुली छूट मांग रहे हैं अतः इन पर कार्यवाही की जाए ।

इसी कड़ी में मंडी जिला की सराज विधानसभा में पदम् देव हत्या काण्ड व कमल जीत उर्फ़ कोमल हत्या काण्ड, द्रंग विधान सभा में 80 वर्षीय बुर्जुर्ग से मार पीट और जोगिन्दरनगर विधानसभा में 11 वर्षीय बच्ची से बलात्कार इत्यादि के सन्दर्भ में न्याय की मांग करते है ।

3. पार्ट टाइम मल्टीपर्पज वर्कर्स भर्ती व अन्य भर्तीयो में आरक्षण व्यवस्था को लागू किया जाए क्योंकि जो लोग संवैधानिक अधिकारों का विरोध करने वाले असामाजिक तत्व को संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन करने की खुली छूट दे रहे है उन प्रशासनिक अधिकारियों से बिना आरक्षण व्यवस्था के उचित प्रतिनिधित्व देने के प्रति ईमानदार होने का संदेह उत्पन्न होता है ।

अतः आपसे संविधान व अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछडे वर्ग के अधिकारों की रक्षा की उम्मीद रखते हैं

भवदीय

Narain Singh Azad
(नारायण आज़ाद)
प्रदेश अध्यक्ष
बहुजन समाज पार्टी, हिमाचल प्रदेश ।
+91-8629842424

पुलिसकर्मीयों के परिजन निकालेंगे रोष रैली

शिमला/शैल। जयराम सरकार ने प्रदेश कर्मचारियों के साथ जेसीसी बैठक करके उन्हें नये वेतनमान देने और अनुबंध कर्मचारियों की अनुबंध अवधि तीन साल से घटाकर दो साल करने का फैसला लिया है। जेसीसी में हुये इस फैसले को मंत्रिमंडल की बैठक में भी अनुमोदित कर दिया गया है। लेकिन सरकार के इस फैसले का लाभ उन पुलिसकर्मियों को नहीं मिलेगा जो पुलिस में 2015, 16, 17 और 19 में भर्ती हुए हैं। इन वर्षों में भर्ती हुये करीब 5700 पुलिस कर्मी इस फैसले से लाभान्वित नहीं होंगे। क्योंकि इनके लिए अनुबंध अवधि अभी भी आठ वर्ष ही है। इन्हें 10300+3200 का वेतनमान लेने के लिये आठ वर्ष का इंतजार करना ही पड़ेगा।

निश्चित रूप से इन पुलिस कर्मचारियों के साथ यह ज्यादती है। इस न इन्साफी के खिलाफ यह लोग पुलिस मैस का बहिष्कार करके और बाकायदा इसका रोजना मचे में जिक्र करके अपना विरोध प्रकट करते आये हैं। जब जेसीसी की बैठक में इनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तब तय लोग मुख्यमंत्री के आवास पर उनसे मिलने भी पहुंच गये थे। मुख्यमंत्री ने इनकी बात सुनके आश्वासन भी दिया था। लेकिन इस आश्वासन के बावजूद इन्हें पुलिस मुख्यालय से अनुशासन के चाबुक का सामना करना पड़ा। जुबान बंद रखने की पाबंदी लग गयी। सोशल मीडिया में भी अपनी तकलीफ सांझा नहीं कर सकते ऐसे निर्देश जारी हो गये। ऐसी पाबंदी लगने पर इनके परिजनों ने इनकी मांगे उठाने की जिम्मेदारी ले ली। बिलासपुर में जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा आये थे तब उनके सामने यह मांगे रखने का फैसला लिया और इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दे दी गयी थी। लेकिन जब परिजन नड्डा से मिलने पहुंचे तब उनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज कर दी गयी।

अब यह परिजन अपने बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए विवश कर दिये गये हैं। क्योंकि जब विधानसभा में भी यह मामला उठा तब इस विसंगति की जिम्मेदारी पूर्व की कांग्रेस सरकार पर डाल दी गयी। ऐसे में अब इन परिजनों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि इनकी मांगों को पूरा न किया गया तो यह लोग प्रधानमंत्री की प्रस्तावित मण्डी यात्रा के दौरान रोष रैली निकालकर प्रधानमंत्री के सामने अपनी मांगें रखेंगे। कर्मीयों के दर्जनों अभिभावकों ने इस आशय के पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को अपने फैसले से अवगत करवा दिया है। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इनकी मांग स्वीकार करने के कोई संकेत नहीं आये हैं। ऐसे में तय माना जा रहा है की मण्डी में बिलासपुर से भी बड़ा कुछ घटेगा।

चार साल के कार्यकाल

........पृष्ठ 1 का शेष

आज भी अकेले जयराम ही उन नेताओं में बचा है जो स्वयं ज्यादा विवादित नहीं है। भले ही इस सब की कीमत संगठन को चुकानी पड़ेगी लेकिन आज जयराम ने अपने को वहां लाकर खड़ा कर दिया है जहां उसका कोई विकल्प पार्टी के पास उपलब्ध नहीं है। जिस तरह से इस समय कांगड़ा को तीन जिलों में बांटने की योजना बन रही है और कांगड़ा का सारा नेतृत्व इस पर चुप्पी साधे बैठा है उसको क्या राजनीति की एक बड़ी शातिर चाल नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि इसके बाद कांगड़ा का सबसे बड़ा जिला होने का टैग खत्म हो जायेगा। क्या उसका नुकसान कांगड़ा के वर्तमान नेताओं को नहीं होगा ।